# न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी: अनिल कुमार चौधरी ( आर०ए०एस०)

| मु०न० | ता०रजू. | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 20 / 2018 | 20.02.2018 | ०१/०३/२०२५ |

1. भोला शंकर शर्मा पुत्र श्री देवीशंकर शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 50 वर्ष निवासी बाल मंदिर कॉलोनी सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, लैण्ड होल्डर, सवाई माधोपुर।
2. भीम भाई, पुरूषोत्तम भाई जाति महावंशी निवासी सी-34, कोटियार नगर, नवयुग कॉलेज के सामने, राधे रोड, सूरत, (गुजरात)
3. मीरा देवी पत्नी जगदीश जाति बैरवा निवासी ग्राम बाँस तहसील महवा जिला दौसा

प्रतिवादीगण

## दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–

1. वादी की ओर से श्री विनोद कुमार अग्रवाल एड0
2. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री आमिर एड0
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से गिर्राज प्रसाद यादव एड0

## :— निर्णय —:

वादी ने जरिये वकील एक वाद पत्र दावा बाबत घोषणा का पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि आराजी खेत खसरा नम्बर 808 रकबा 0.38 है० एवं 862 रकबा 0.38 है० कुल खेत 2 कुल रकबा 0.76 है० वाकै ग्राम नीमली कलां पटवार क्षेत्र जुवाड़ तहसील व जिला सवाई [illegible] का वादी खातेदार काश्तकार व्यक्ति है। आवंटन के [illegible] दिया गया.वही पर निरन्तर वादी मौके पर काबिज है। पूर्व [illegible] में खसरा नम्बर 207 पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर था जो कि काफी बड़ा रकबा था। जिसमें सैकड़ों लोगों को भूमि आवंटित व नियमन किया गया था और तदानुसार मौके पर अलग अलग खातेदार काबिज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से नक्शे में अलग अलग जगह भूमि दर्शित कर दी गई। क्योंकि खसरा नम्बर 207 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

673 बीघा 10 बिस्वा का खेत था और उसमें से खातेदार को खसरा नम्बर 808 व 862 आवंटित की गई थी, जिसे वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर मौके पर काबिज चला आ रहा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के खेत खसरा नम्बर 862 व 808 को नक्शे में गलत जगह दर्शित कर दिया गया। जबकि उक्त जगह वादी का कोई कब्जा नही है और ना ही उक्त भूमि पर वादी ने कभी काश्त की है। वादी का वास्तविक खसरा नम्बर 862 व 808 खातेदारी में दिया हुआ है, जबकि मौके पर वादी का कब्जा खसरा नम्बर 739 में उत्तरी ओर नाले से सटवां आम रास्ते से लगते हुए अन्तिम छोर तक रकबा 0.76 है0 पर निरन्तर है एवं इसी जगह पूर्व में वादी का प्रेसिडेसर जिससे वादी ने जमीन क्रय की है, कब्जे में था एवं इसी स्थान पर वादी के प्रेसिडेसर ने वादी को रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा दिया है। जिसपर वादी निरन्तर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 2 जाकि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 है से वादी का कभी कोई इस सम्बन्ध में विवाद नही रहा और ना ही प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 है ने वादी जहॉं काबिज है, उसमें कोई अवरोध उत्पन्न किया। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 जो कि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 3 है जहां वास्तविक रूप से काबिज व रिकॉर्डेड खातेदार था, उसके स्थान पर दूसरे खसरा नम्बर अंकित कर दिये गये है । जिन्हें भी दुरूस्त किये जाने में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। वादी को ये अधिकार हासिल है कि वह खसरा नम्बर 862 व 808 के स्थान पर जहां वादी खसरा नम्बर 739 में उत्तरी ओर नाले के पास रकबा 0.76 है0 भूमि पर काबिज है, उसे नवीन नम्बर डलवाकर अपनी खातेदारी में दर्ज करवावे, तद्नानुसार समस्त रेवेन्यु रिकॉर्ड वरिकॉर्ड ऑफ राईट्स को दुरूस्त करवावे एवं वादी के जो खातेदारी में 862 एवं 808 खातेदारी में दर्ज है उनके स्थान पर नवीन खसरा नम्बर 739 में से कब्जा अनुसार बनाया जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज करवावे के खसरा नम्बर 862 व 808 को नक्शा ट्रेस में खसरानम्बर 739 को मुताबिक खातेदारी हटाया जाकर मौके पर वास्तविक कब्जे अनुसार नक्शा ट्रेस को संशोधित किया जाये और वादी के जो गलत स्थान पर [illegible] ट्रेस में खसरा नम्बर अंकित है, उसे ऑमिट किया जाये एवं खसरा नम्बर [illegible] को भी प्रतिवादी संख्या 2 के वास्तविक कब्जे अनुसार उस नम्बर पर संशोधित फरमाया जावे।सेटलमेंट विभाग द्वारा पूरे गांव के वास्तविक कब्जे की भूमि को नक्शा ट्रेस में गलत जगह इन्द्राज किये हुए हैं, जिससे सैंकडो मुकदमे ग्राम नीमली के माननीय न्यायालय में विचाराधीन है और गरीब काश्तकारों को सेटलमेंट विभाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

ी गई गलती के कारण न्यायालय के चक्कर लगाने पड रहे है। वादी की ब्जेशुदा भूमि में वर्षों पूर्व का कुआ बना हुआ है तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु ब वादी ने अपने खेत का नक्शा निकलवाया तो उसे प्रथम जानकारी हुई कि स स्थान पर वादी की कब्जेशुदा कृषि भूमि थी, उस स्थान पर सेटलमेंट गलत म्बरों काइन्द्राज किया हुआ है जिसे संशोधित किया जाना न्यायहित में ावश्यकहै । दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री करमायाजावे उद्‌घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि आराजी खसरानम्बर 739 रकबा 1.13 ० वाकै ग्राम नीमली कलां में से उत्तरी ओर नालेसे सटवां आम रास्ते से लगते ए अन्तिम छोर तक रकबा 0.76 है० वादीकी कब्जेशुदा होने के कारण प्रतिवादी ी खातेदारी में से डिलीट करवाने एवं तद्‌नानुसार सेपरेट नम्बर डलवाकर अपनी ातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है । तद्‌नानुसार समस्त रेवेन्यु रिकॉर्ड एवं रेकॉर्ड ऑफराईट्‌स को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है । खसरा नम्बर 808 कबा 0.38 है० एवं खसरा नम्बर 862 रकबा 0.38 है० वाकै ग्राम नीमली कलां हसील व जिला सवाई माधोपुर केस्थान पर खसरा नम्बर 739 रकबा 1.13 है० ाकै ग्राम नीमली कलां में सेउत्तरी ओर नाले से सटवां आम रास्ते से लगते हुए प्रन्तिम छोर तक रकबा 0.76 है० भूमि सेपरेट नम्बर डालकर वादी की खातेदारी में दर्ज फरमाई जावे एवं समस्त रेवेन्यु रिकॉर्ड एवं रिकॉर्ड ऑफ राईट्‌स को दुरूस्त फरमाया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जेशुदा भूमि जो खसरा नम्बर 739 रकबा 1.13 है० वाकै ग्राम नीमली कलां में उत्तरी ओर नाले से संटवां आम रास्ते सेलगते हुए अन्तिम छोर तक है, के कब्जे काश्त में ना तो स्वयं बाधा पैदाकरे, ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रतिवादीगण जरिये वकी[illegible] वाद पत्र पेश किया जिसमें वादी के वाद पत्र में अंकि[illegible] वादी के वाद पत्र डिक्री किये जाने का कथ[illegible] संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के खाता संख्या 154 ख.न. 808 रकवा 0.38 है. ख.न. 862रकबा 0.38 है. किता 2 रकबा 0.76 है. पर भोलाशंकर पुत्र देवीशंकर हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण नि. बालमन्दिर कॉलोनी मानटाउन स.मा. खातेदार दर्ज है। मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 808 रकबा 0.38 है. साबिक खसरा नम्बर 207/9 रकबा 1-10बीघा व खसरा नम्बर 862 रकबा 0.38 है. साबिक खसरा नम्बर 207/11 रकबा 1-10 बीघा से बने है। मुताबिक बन्दोबस्त खतौनी सम्वत 2058 2058 के खाता संख्या 54 खसरा नम्बर 862 रकबा 0.38 है. पर बदरी पुत्र नैनू जाति गूजर सा. देह खातेदार व खाता संख्या 77 खसरा नम्बर 802 रकबा 0.38 है. पर रामनारायण पुत्र गंगाधर जाति गूजर सा. देह खातेदार दर्ज है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2061-64 के नामा. न. 174 नि. दि. 05.08.2006 से ख. न. 862 रकबा 0.38 है. व मुताविक जमाबन्दी सम्वत 2065-68 के नामा. न. 326 नि. दि. 08.02.2011 से 0.38 है. वादी द्वारा क्रय किया गया है। मुताबिक रिपोर्ट भू.अ.निरी. कुशतला के खसरा नम्बर 862 पर जयनारायण बलराम पुत्र लड्डूजाति गूजर सा. देह व ख. न. 808 पर हुकमचन्द देवीशंकर पि. बीरबल जाति गुर्जर सा. देह रूपसिंह हरिसिंह पि. भजनलाल जाति गूजर सा. देह का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 739 रकबा 1.13 है. मे उत्तर दिशा मे 0.38 व दक्षिण दिशा में 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 है0 पर वादी का कब्जा काश्त है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 के खाता नं. 164 ख.न. 739 रकबा 1.13 है. पर मीरा पत्नि जगदीश बैरवा नि. बाँस तह. महवा जिला दौसा खातेदार दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 739 रकबा 1.13 है. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा नम्बर 149/50 मि. से बने है।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सूनी। वकील वादी ने बहस करते हुऐ बताया कि खसरा नम्बर 808 रकबा 0.38 है० एवं 862 रकबा 0.38 है० कुल खेत 2 कुल रकबा 0.76 है० वाकै ग्राम नीमली कलां में स्थित है। आवंटन के समय से पूर्व खातेदार को जहां कब्जा दिया गया. वहीं पर निरन्तर वादी मौके पर काबिज है। चूंकि पूर्व में खसरा नम्बर 207 पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर था जो कि काफी बडा रकबा था। जिसमें सैंकडों लोगों को भूमि आवंटित व नियमन किया गया था और उक्तानुसार मौके पर अलग अलग खातेदार काबिज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलत रूप से नक्शे में अलग अलग जगह [illegible] दर्शित कर दी गई। क्योकि खसरा नम्बर 207 रकबा 673 बीघा 10 बिस्वा का रकबा था और उसमें से खातेदार को खसरा नम्बर 808 व 862 आवंटित की गई। जिसे वादी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर मौके पर काबिज चला आ रहा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी के खेत खसरा नम्बर 862 व 808 को नक्शे में गलत जगह प्रदर्शित कर दिया गया। जबकि उक्त जगह वादी का कोई कब्जा नहीं है और ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

ही उक्त भूमि पर वादी ने कभी काश्त की है। वादी का वास्तविक खसरा नम्बर 862 व 808 खातेदारी में दिया हुआ है, जबकि मौके पर वादी का कब्जा खसरा नम्बर 739 में उत्तरी ओर नाले से सटवां आम रास्ते से लगते हुए अन्तिम छोर तक रकबा 0.76 हैं० पर निरन्तर है एवं इसी जगह पूर्व में वादी का प्रेसिडेसर जिससे वादी ने जमीन क्रय की है, कब्जे में था एवं इसी स्थान पर वादी के प्रेसिडेसर ने वादी को रजिस्ट्री कराने के बाद कब्जा दिया है। जिसपर वादी निरन्तर काबिज है। अतः वादी का वाद पत्र डिकी किया जावें।

प्रकरण में वकील प्रतिवादी संख्या 3 ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण सही एवं सत्य है वादी के वाद के अनुसार प्रकरण को स्वीकार फमराया जावें।

पत्रावली में उभयपक्ष की बहस सूनी। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार में प्रकरण में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 154 ख.न. 808 रकवा 0.38 है. ख.न. 862 रकबा 0.38 है. किता 2 रकबा 0.76 है. पर भोलाशंकर पुत्र देवीशंकर हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण नि. बालमन्दिर कॉलोनी मानटाउन स.मा. खातेदार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 808 रकबा 0.38 है. साबिक खसरा नम्बर 207/9 रकबा 1–10 बीघा व खसरा नम्बर 862 रकबा 0.38 है. साबिक खसरा नम्बर 207/11 रकबा 1–10 बीघा से बने है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 739 रकबा 1.13 है. मे उत्तर दिशा मे 0.38 व दक्षिण दिशा में 0.38 है0 कुल रकबा 0.76 है0 पर वादी का कब्जा काश्त है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता नं. 164 ख.न. 739 रकबा 1.13 है. पर मीरा पत्नि जगदीश बैरवा नि. बाँस तह. महवा जिला दौसा खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी मीरा ने अपने जवाब में वादी के वाद पत्र स्वीकार किये जाने का भी निवेदन किया हैं। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested

## :–कियात्मक आदेश–

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नीमली कलॉ के खसरा नम्बर 808 रकबा 0.38 है0 व खसरा नम्बर 862 रकबा 0.38 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 खातेदार भोलाशंकर पुत्र देवीशंकर हिस्सा पूर्ण की खातेदारी हजफ की

जाकर प्रतिवादी संख्या 3 मीरा पत्नि जगदीश बैरवा नि. बाँस तह. महवा जिला दौसा के नाम दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 739 रकबा 1.13 हैक0 में उत्तर दिशा में 0.38 हैक0 व दक्षिण दिशा में 0.38 हैक0 कुल रकबा 0.76 हैक0 की खातेदार मीरा पत्नि जगदीश बैरवा नि. बाँस तह. महवा जिला दौसा की खातेदारी हजफ की जाकर वादी भोलाशंकर पुत्र देवीशंकर जाति ब्राहमण निवासी बाल मन्दिर कॉलोनी मानटाउन स0मा0 के नाम दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 739 में शेष रकबा 0.37 हैक0 खातेदार मीरा पत्नि जगदीश बैरवा नि. बाँस तह. महवा जिला दौसा के नाम बदस्तूर यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सवाई माधोपुर से प्राप्त नक्शा ट्रेश की छायाप्रति निर्णय का भाग रहेगा। तद्नानुसार डिक्री जारी की जावें।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.10 13:57:35 IST
Reason: SelfAttested